विज्ञप्ति

निदेशालय के पत्र सं. सी 199–201/बा.वि.परि./नजारत/2020–21, दिनांक 05 मई, 2020 के क्रम में जनपद–बलिया के कुल 08 बाल विकास परियोजनाओं (रसड़ा, चिलकहर, दुबहड़, नगरा, मनियर, बाँसडीह, गड़वार व मुरलीछपरा) में विभागीय/शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में 31 मार्च, 2021 तक के लिए किराये पर लिए जाने हेतु परियोजनावार मुहरबन्द कोटेशन(प्रस्ताव) आमंत्रित किया जाता है।

1. किराये पर लिए जाने वाली वाहनों की संख्या 08 (आठ) है। आवश्यकता के दृष्टिगत वाहन किराये पर लिए जाने हेतु आवंटित परियोजनाओं के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है।
2. प्रत्येक वाहन के लिए रु. 2.50 लाख (रु. दो लाख पचास हजार मात्र) एक वर्ष हेतु निर्धारित की गई है। इस धनराशि में वाहन पर आने वाले सभी व्यय सम्मिलित होंगे।
3. वाहन स्वामी द्वारा परियोजनावार पृथक–पृथक कोटेशन(प्रस्ताव) सील्ड लिफाफे में रुपए प्रति किलोमीटर की दर से दिया जाएगा।
4. किराये पर लिए जाने वाला वाहन परिवहन विभाग में व्यावसायिक उपयोग हेतु परमिट/पंजीकृत युक्त वाहन ही मान्य होगा। किराये का वाहन डीजल जीप/बोलरो ही मान्य होगा।
5. मुहरबन्द कोटेशन दिनांक 25.06.2020 के अपराह्न 2.00 बजे तक जिला कार्यक्रम कार्यालय, महबूब मंजिल, गड़वार रोड, बलिया में प्राप्त कराये जा सकेंगे। उक्त दिवस को ही अपराह्न 2.00 बजे के बाद मुहरबन्द कोटेशन(प्रस्ताव) खोले जायेंगे, जिसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी। वाहन/फर्म के स्वामी/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
6. किसी भी कोटेशन(प्रस्ताव) को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार समिति में निहित होगा, जिस पर कोई वाद प्रभावी नहीं होगा।
7. कोटेशन(प्रस्ताव) के साथ समस्त आवश्यक प्रपत्र जैसे; वाहन पंजीकरण, बीमा, वाहन चालक आदि के प्रपत्र, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, कोटेशन(प्रस्ताव) के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. वाहन का किराया परियोजना कार्यालय से चली गई दूरी पर ही देय होगा।
9. वाहन के किराए का भुगतान बजट उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।
10. प्राप्त कोटेशन(प्रस्ताव) के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्म/संस्था/वाहन स्वामी से वाहन किराये पर लिया जाएगा, जिसका उपयोग बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा विभागीय कार्यों के निर्वहन हेतु उपयोग में लाया जाएगा। अन्य बातें सामान्य रहने पर स्थानीय वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी।
11. परियोजना कार्यालय पर उपलब्ध उक्त किराये के वाहन चालक द्वारा प्रतिदिन लागबुक भरा जाएगा तथा लागबुक संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रतिहस्तारित किया जाएगा।
12. स्वीकृति के उपरान्त संबंधित वाहन स्वामी को सहमति पत्र रु.100.00 (रु. एक सौ मात्र) के स्टैम्प पेपर पर देय होगा।
13. अन्य जानकारी हेतु जिला कार्यक्रम कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

सील बन्द प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का प्रारूप

क्र.सं.	वाहन स्वामी का नाम व पता	वाहन की श्रेणी	वाहन पंजीकरण सं.	वाहन बीमा सं. वैधता तिथि सहित	प्रस्तावित दर प्रति किलोमीटर में

सील बन्द कोटेशन/प्रस्ताव जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, महबूब मंजिल गड़वार रोड, बलिया के कार्यालय से निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कराया जाएगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं किये जायेंगे।

/

(सेराज अहमद)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बलिया।

कार्यालय : जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस., बलिया।

पत्रांक सं. C-118 /जि.का.अधि./वाहन/विज्ञप्ति/2020–21, दिनांक 06 जून, 2020

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ.प्र., लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बलिया।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, जनपद–बलिया।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बलिया को इस आशय से प्रेषित कि एन.आई.सी. पोर्टल पर ई–निविदा प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी, बलिया को इस आशय से प्रेषित कि जनपद की किसी प्रचलित दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. कार्यालय–प्रति।

06/06/2020

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बलिया।